फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह शेखावत, गजनेर रोड़, बीकानेर (राज0) – **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 06/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा जरिये क्रमांकः न्याय/ज्ञापन/2022/369 दिनांकः 25.02.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना तहसील कार्यालय कुंभलगढ से संबंधित होने के कारण पत्रांकः सू.का.अधि.अधि. 05/2021/3245–46 दिनांक 08.10.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 05 की धारा 6(3) के तहत मूल ही अंतरण किया गया। तहसीलदार कुंभलगढ द्वारा जरिये पत्रांकः भू–अ./ RTI/2021/525–27 दिनांक 04.04.2022 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराई गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ एवं तहसीलदार कुंभलगढ की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया । तहसीलदार कुंभलगढ द्वारा जरिये पत्रांकः भू–अ./ RTI/2021/525–27 दिनांक 04.04.2022 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ एवं तहसीलदार, कुंभलगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

कार्यालय जिला कलक्टर (राज.)